रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 791] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2018/कार्तिक 14, 1940
No. 791] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2018/KARTIKA 14, 1940

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.1088(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय बेतार तार (वैश्विक समुद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक का प्रवीणता प्रमाण-पत्र एवं लाइसेंस के संबंध में) नियम, 1997 में एतद्वारा आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **लघु शीर्षक एवं प्रारंभ- (1)** इन नियमों को भारतीय बेतार तार (वैश्विक समुद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक का प्रवीणता प्रमाण-पत्र एवं लाइसेंस के संबंध में) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. भारतीय बेतार तार (वैश्विक समुद्रीय आपदा एवं सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक का प्रवीणत प्रमाण-पत्र एवं लाइसेंस के संबंध में) नियम,1997 में (इसके आगे जिसे प्रधान नियम बताया गया है), नियम 4 में उपनियम (iii) और (iv) के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(iii) (क) (I) नियम 3 के उपनियम (i), (ii) तथा (iii) के तहत प्रमाण-पत्र की श्रेणी के लिए अखिल भारतीय सीनियम सेकेंडरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा या किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविधालय द्वारा आयोजित समतुल्य परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के रुप में गणित एवं भौतिक के साथ उत्तीर्ण की हो;

(II) नियम 3 के उपनियम (iv) के तहत प्रमाण-पत्र की श्रेणी के लिए प्रवेश हेतु 10वीं (सीनियर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र) या भारत के किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या राज्य अथवा केन्द्र सरकार के समुद्री अथवा मात्स्यिकी के सांविधिक निकायों द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र धारी पात्र होंगे;

या

(ख) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के तहत पोतपरिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यता का वैध प्रमाण-पत्र या इसके समतुल्य धारण करता हो ;

या

(ग) भारतीय बेतार तार या (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक का प्रवीणता प्रमाण-पत्र तथा बेतार टेलिग्राफ-प्रचालन हेतु लाइसेंस) नियम, 1954, के प्रावधानों के तहत संचार मंत्रालय (बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध) द्वारा जारी वैध प्रवीणता प्रमाण-पत्र अथवा इसके समतुल्य धारण करता हो ।

(iv) निम्नलिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी संस्थान में वैश्विक समुद्री आपदा एवं सुरक्षा प्रणाली पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो-

(क) नियम 3 के उप-नियम (i) एवं (ii) के तहत प्रमाण-पत्र की श्रेणी में कम से कम छह महीना

(ख) नियम 3 के उपनियम (iii) के तहत प्रमाण-पत्र की श्रेणी में कम से कम दो सप्ताह

(ग) नियम 3 के उप-नियम (iv)के तहत प्रमाण-पत्र की श्रेणी में कम से कम एक सप्ताह।"

3. प्रधान नियमों में नियम 8 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

'8. लाइसेंस की वैधता- (1) नियम 3 के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक लाइसेंस प्रारंभिक तौर पर निम्नलिखित वैधता और फीस के आधार पर लाइसेंसधारियों को उनके द्वारा चुने विकल्प के अनुसार जारी किए जाएंगे, अर्थात:-

(i) 5000/- रु. के भुगतान पर बीस वर्ष कि वैधता;या

(ii) 10,000/- रु. के भुगतान पर जीवनपर्यंत वैधता,

ऐसे लाइसेंस की अवधि की गणना प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु "जीवनपर्यंत" का अर्थलाइसेंसधारी के अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है:

बशर्ते कि पैंसठ वर्ष की आयु के बाद लाइसेंसधारी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद लाइसेंस के इस्तेमाल के बारे में लाइसेंसदाता को बताना होगा।

(2) उप-नियम (1) के खंड (i) के तहत बीस वर्षों के लिए जारी किए गए लाइसेंस की वैधता के समाप्त होने पर लाइसेंस के उप-नियम (1) के तहत बताई गई फीस अदा किए जाने पर अगले बीस वर्ष या जीवनपर्यंत के लिए पुन: नवीकृत किया जा सकता है तथा यादि लाइसेंसधारी, लाइसेंस के समाप्त होन की तारीख से पूर्व एक वर्ष अवधि के भीतर पुन: नवीकृत करने के लिए आवेदन करता है, तो नियम 8 क में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर इस प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध पर विचार किया जा सकता है:

परन्तु यदि केंद्र सरकार यह समझती है कि किसी लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के पुनर्नवीकरण हेतु जानबूझकर या लापरवाहीवश गलत या असत्य सूचना दी है, तो केन्द्र सरकार लाइसेंस का समर्थन, निलंबन अथवा उसे रद्द कर सकती है,

परन्तु यह और कि जब तक लाइसेंसधारी को की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक इस नियम के तहत लाइसेंस को स्थगित या रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।'

4. नियम 8 क, के लिए प्रधान नियमों में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'8क.विलंब से पुनर्नवीकरण के लिए अतिरिक्त फीस- (1) यदि नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार लाइसेंसधारी लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से पूर्व इसके पुनर्नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, तो लाइसेंसधारी निम्न 8 के उपनियम (1) के उपबंधों के तहत भुगतान किए जाने वाले प्रतिमाह पुनर्नवीकरण फीस के दो प्रतिशत अतिरिक्त फीस, जो ढाई सौ रुपए से कम न हो, अदा करके लाइसेंस के समाप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर लाइसेंस को पुन:नवीकृत करने के लिए आवेदन कर सकता है तथा यदि पुनर्नवीकरण करने में विलंब बारह माह से अधिक का है, तो इस नियम के तहत अतिरिक्त फीस वार्षिक आधार पर

संयोजित होगा और ऐसे मामलों में यह लाइसेंस इसके समाप्त होने की तारीख से मात्र बीस वर्षों या जीवनपर्यंत के लिए पुन: नवीकृत किया जाएगा।

(2) यदि लाइसेंसधारी लाइसेंस की अंतिम तारीख के दो वर्षों बाद लाइसेंस को पुन: नवीकृत करने के लिए आवेदन करता है, तो लाइसेंसधारी को संचार मंत्रालय (बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध) द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित संबंधित परीक्षा का भाग-।। उत्तीर्ण करना होगा तथा ऐसे मामलों में लाइसेंस की वैधता नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार फीस की अदायगी पर उक्त परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख से केवल बीस वर्षों अथवा जीवनपर्यंत अवधि के लिए होगी।'

[सं. पी-14036/01/2018-सीओपी]
आर.सी.मलिक, सहायक बेतार सलाहकार

नोट:- प्रधान नियम तारीख 6 जुलाई 1998 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि.133 के तहत भारत के राज्यपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे तथा इसके पश्चात सा.का.नि 277 (अ) तारीख 2 मई 2013 तथा सा.का.नि. 186 तारीख 4 अक्तूबर 2016 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(Wireless Planning and Co-ordination Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2018

G.S.R. 1088(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Wireless Telegraph Act,1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules,1997, namely:-

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 1997 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 4, for sub-rules (iii) and (iv), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

" (iii) (a) (I) passed All India Senior Secondary School Certificate examination or an equivalent examination conducted by a recognised Board or University with Mathematics and Physics as optional subjects for category of certificate under sub-rules (i), (ii) and (iii) of rule 3;

(II) passed 10th standard (Secondary School Certificate Examination) or an equivalent examination conducted by a recognised Board or University in India or holds a valid certificate issued by statutory bodies of maritime or fisheries of State or Central Government shall be eligible for admission for category of certificate under sub-rule (iv) of rule 3.

or

(b) holds a valid certificate of competency or its equivalent issued or recognised by the Directorate General of Shipping under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

or

(c) holds a valid certificate of proficiency or an equivalent issued by the Ministry of Communications (Wireless Planning and Co-ordination Wing) under the provisions of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954;

(iv) has undergone a practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipments, in any of the institutes approved by the central Government for a period

(a) not less than six months in case of category of certificate under sub-rules(i) and (ii) of rule 3;

(b) not less than two weeks in case of category of certificate under sub-rule (iii) of rule 3;

(c) not less than one week in case of category of certificate under sub-rule (iv) of rule 3" .

3. In the principal rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:

'8. Validity of licences (1) Every licence specified under rule 3 shall be issued initially, for validity and fee mentioned as under, as per the option excercised by the licencee, namely:

(i) twenty years validity on payment of Rs. 5000/-; or

(ii) for life time validity on payment of Rs. 10000/-,

from the date of issue of the certificate for such licence.

Explanation - For the purposes of this rule, the expression "life time" means till the licence holder attains the age of eighty years:

Provided that after attaining the age of sixty-five years, the licence holder shall intimate the licensor about the use of the licence for every five years.

(2) On the expiry of the validity of licence issued for twenty years under clause (i) of sub-rule (1), the licence may be renewed for another twenty years or life time on payment of fee as provided under sub-rule (1) and to consider the renewal, if the holder of the licence applies for renewal of the licence within a period of one year before the date of expiry of the licence, except as provided in rule 8A, upon a specific request by the applicant for the purpose:

Provided that, if a holder of a licence, in the opinion of the central Government has willfully or negligently furnished incorrect or false information for the purpose of renewal of the licence, the Central Government may endorse, suspend or cancel the licence;

Provided further that no order to suspend or cancel the licence under this rule shall be made unless the holder of the licence has given a reasonable opportunity of making a representation against the action proposed to be taken.'

4. In the principal rules, for rule 8A, the following rule shall be substituted, namely:

'8A. Additional fees for late renewal (1) In case the holder of the licence does not apply for its renewal prior to the date of expiry of the licence as specified under sub-rule (2) of rule 8, the holder may apply for the renewal of licence within a period of two years from the date of expiry of the licence on payment of an additional fee at the rate of two per cent, per

month of the renewal fee payable, as provided under sub-rule (1) of rule 8,subject to a minimum of two hundred and fifty rupees and if the delay in renewal is for more than twelve months, then, the additional fee under this rule shall be compounded annually and in such cases, the licence shall be renewed only for a period of Twenty years or life time from the date of expiry of the licence.

(2) In case the holder of the licence applies for renewal of the licence after two years of the date of expiry of the licence, the holder shall be required to pass Part-II of the respective examination conducted by the Ministry of Communication (Wireless Planning and Coordination Wing) at various centres and in such cases, the validity of the licence shall be only for a period of Twenty years or life time from the date of declaration of result of the said examination, on payment of the fee as provided under sub-rule (1) of rule 8.'

[No.P-14036/01/2018-COP]

R. C. MALIK, Assistant Wireless Adviser

Note:- Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 133, dated the 6th July 1998, and subsequently amended vide G.S.R. 277(E) dated the 2nd May, 2013 and G.S.R. 186 dated the 4th October,2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.11.10 17:22:39 +05'30'